निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :– 258/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्री हनुमान पुत्र बृजमोहन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर। हाल निवासी वार्ड नं. 18, मामोडिया का मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, श्री चिमन लाल मीणा
2. श्री छाजू पुत्र श्री रामचन्द्र
3. श्री बाबू पुत्र श्री रामचन्द्र
4. श्री गणेश पुत्र श्री हरि

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, हाल निवासी वार्ड नं. 18, मामोडिया का मोहल्ला, चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 97/2022 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 75/2022 ब उनवानी जगदीश बनाम छाजूराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचंद जलवानियां, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मोहनलाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 13.07.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ के समक्ष वाद संख्या 97/2022 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 75/2022 ब उनवानी जगदीश बनाम छाजूराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अन्य हनुमान, अम्बा लाल, पूरण ने एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2022 को पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा तत्पश्चात् 11.11.2022, 14.11.2022 एवं 21.11.2022 छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने अपना जवाब दावा पेश कर लिखित बहस भी अंतिम निस्तारण के लिए पेश कर दी है और दिनांक 11.11.2022 को कार्य बहिष्कार होने के पश्चात् भी लिखित बहस पेश की जाकर अंतिम निस्तारण के लिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तारीख पेशी 14.11.2022 दी गई थी, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कोर्ट में कहा कि जवाब दावा और लिखित बहस आ चुकी है, इसका अंतिम निस्तारण करूंगा और प्रार्थी के अधिवक्ता को कहा कि आप बहस कर लो या लिखित बहस दे दो अन्यथा एकतरफा बहस सुनकर फैसला कर दिया जाएगा। प्रार्थी के अधिवक्ता ने वाद में रिजोन्डर पेश करने तत्पश्चात् तनकियात कायम कर साक्ष्य लिया जाकर अंतिम बहस सुनकर फैसला करने का निवेदन किया, परंतु न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का रवैया एकतरफा है और वह बिना प्रक्रिया की पूर्ति किये फैसला करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 की पारिवारिक सदस्य दिनांक 14.11.2022 को पीठासीन अधिकारी से चेम्बर में मिले थे और बाहर आकर कोर्ट रूम के बाहर प्रार्थी को कहा था कि एसडीओ से उसने किसी ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति से फोन करवा दिया है और जो स्टे प्रार्थी ने ले रखा है, उसे जल्द ही खारिज करवा कर प्रार्थी का केस खारिज करवा दिया जाएगा। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी रहते हुए उक्त प्रकरण में न्याय की आशा नहीं है और इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जरिये जवाब और वरवक्त बहस उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जिस प्रकार तहरीर व तकमील की गयी है, केवल मात्र कपोल कल्पित होने के कारण अस्वीकार है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ही तारीख पेशियां ली जाती रही है। जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

9 उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर दो कम हो कर शुमार फैसल हो।

10 निर्णय आज दिनांक **13.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर